



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना मरका पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 1.2 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना मरका पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12/13.10.2026 की देर रात्रि थाना मरका पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के अभियुक्त बद्री पुत्र जोगराज निवासी इंगुवा थाना मरका जनपद बांदा को ग्राम पन्नाह गैस गोदाम के पास के साथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मरका पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 01 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बद्री पुत्र जोगराज निवासी इंगुवा थाना मरका जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 143/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 54/15 धारा 379/411 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 100/20 धारा 379 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 112/20 धारा 380/411 भादवि थाना मरका जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0 63/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार सिंह
2. कां0 राहुल कुमार